संख्या-990/9-1-10-131तर/2001

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ/दिनांक: 21 जून, 2010

विषय: वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में अवर अभियन्ता के पद पर राजकीय विभागों के अवर अभियन्ता के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में अवर अभियन्ता के पद ~~पर~~ राजकीय विभागों के अवर अभियन्ता के समान वेतनमान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) नगरीय स्थानीय निकायों के अवर अभियन्ता के पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता अभियंत्रण में 03 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित करते हुए वेतनमान रू0500-8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रूपये 4200 पुनरीक्षित वेतन संरचना में तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाय।

(2) नगरीय स्थानीय निकायों में अवर अभियन्ता के पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से यथावत किये जाने की पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी।

(3) नगरीय स्थानीय निकाय के अवर अभियन्ताओं के वेतनमानों के उच्चीकरण पर आने वाला अतिरिक्त व्यय-भार सम्बन्धित निकायों द्वारा ~~स्वयं~~ स्वयं वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नही दी जायेगी।

(4) उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा ।

....2...

2- यह आदेश वित्त विभाग की अनौपचारिक संख्या-645/दस-2010 दिनांक 10.06.10 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव।

संख्या-एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उ.प्र.।
5. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र.।
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
8. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
21.6.10
(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।